भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2376

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

आपात मौसमी स्थितियों के दौरान शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश

† 2376. **श्रीमती स्मिता उदय वाघ:**
डॉ. भोला सिंह:
श्री विजय बघेल:
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री रमेश अवस्थी:
श्री अभिमन्यु सेठी:
श्री अनिल फिरोजिया:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री शिवमंगल सिंह तोमर:
श्री बलभद्र माझी:
श्री धर्मबीर सिंहः
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः
श्री खगेन मुर्मु:
श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे शिक्षकों को भारी बारिश, रेड अलर्ट या सड़कों पर बाढ़ जैसी गंभीर मौसम स्थितियों के दौरान, जब स्कूल भौतिक कक्षाएं निलंबित कर देते हैं, घर से काम करने की अनुमति मिल सके, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का शैक्षणिक निरंतरता और शिक्षक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आपातकालीन अनुक्रिया दिशा निर्देश तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में सरकारी और निजी विद्यालयों में सीसीटीवी प्रणाली, ध्वनि/वायस रिकॉर्डिंग तंत्र और डिजिटल निगरानी की स्थापना सहित विद्यालय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करके क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ न

पड़े, स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को मजबूत किया जाए, शिक्षकों को तनाव/संकट के शुरुआती संकेतों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और स्कूलों में परामर्श सेवाओं की स्थापना सहित समय पर हस्तक्षेप किया जाए;

(ङ.) भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्कूल-सुरक्षा अवसंरचना, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की उपलब्धता तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार होने वाली विकट मौसम बाधाओं को देखते हुए सरकार द्वारा नियोजित विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का जलवायु संबंधी व्यवधानों के दौरान बच्चों की सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक कल्याण और निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समान ढांचा शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश परामर्शी प्रकृति के हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आशा की जाती है कि वे उन्हें लागू करें और वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्धन/संशोधन शामिल कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने 26 जुलाई 2025 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को छात्रों की सुरक्षा और हित सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने संबंधी एक नवीनतम निर्देश जारी किया है। यह दिनांक 27.02.2017 को जारी "स्कूल संरक्षा और सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश" (2021) और स्कूल सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश (एनडीएमए, 2016) के संदर्भ में की है और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता के अनुसार स्कूलों और बच्चों से संबंधित सुविधाओं की सुरक्षा लेखापरीक्षा, आपातकालीन तैयारियों में कर्मचारियों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण, और परामर्श और सहकर्मी नेटवर्क के माध्यम से मनोसामाजिक सहायता का प्रावधान शामिल है। मंत्रालय ने शिक्षा विभागों, स्कूल बोर्डों और संबद्ध अधिकारियों से आग्रह किया है वे इन उपायों को लागू करने में देरी किए बिना कार्रवाई करें। इसके निर्देश लिंक पर उपलब्ध हैं: https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss2607.pdf

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने 7 अगस्त 2025 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया है कि वे स्कूल भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें और सुरक्षा लेखापरीक्षा के माध्यम से असुरक्षित और जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों की तत्काल पहचान करें, इसके बाद यदि आवश्यक हो तो उन्हें तोड़ दें या संरचनात्मक रूप से असुरक्षित संरचनाओं की मरम्मत करें और सुरक्षित प्रमाणित होने तक उपयोग पर रोक लगाएं। प्राधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे जहां आवश्यक हो, अस्थायी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करें, तोड़ फोड़ के कारण बनाई गई जगह का लाभकारी उपयोग करें, नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें, और किसी भी पुन: अधिभोग के लिए सुरक्षा/संरचनात्मक उपयुक्तता अनुपालन प्रमाणन सुनिश्चित करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपरोक्त उपायों को सख्ती से लागू करें और रोकथाम योग्य बुनियादी ढांचे में कमियों के कारण किसी

भी तरह की चोट और जीवन के नुकसान से बचें। इसके निदेश लिंक पर उपलब्ध हैं: https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss07008.pdf

पूर्व में, भारत सरकार ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो निम्नानुसार हैं: -

1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्कूल सुरक्षा और संरक्षा संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 01.10.2021 को जारी किए गए। ये दिशा-निर्देश https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf पर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए, 2016) द्वारा स्कूल सुरक्षा नीति संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 27.02.2017 को जारी किए गए। ये दिशानिर्देश लिंक पर उपलब्ध हैं: https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/rte/Guidelines_feb.pdf

3. एनसीपीसीआर ने विभिन्न दिशानिर्देशों की जांच और संकलन किया और दिनांक 26.02.2018 के "स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी मैनुअल" शीर्षक से एक व्यापक मैनुअल तैयार किया। मैनुअल लिंक पर उपलब्ध है: https://ncpcr.gov.in/uploads/165604923562b54e531fe87_manual-on-safety-and-security-of-children-in-schools-sep-2021-2465-kb.pdf

इन दिशा-निर्देशों में *अन्य बातों के साथ-साथ* स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने और विभिन्न हितधारक और विभिन्न विभागों की जवाबदेही तय करने के प्रावधान शामिल हैं। साथ ही इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य एक सुरक्षित स्कूल वातावरण के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, मौजूदा सुरक्षा नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कार्यान्वयन में भूमिकाओं को स्पष्ट करना, स्कूल की गतिविधियों और परिवहन के दौरान बाल सुरक्षा के लिए जवाबदेही सौंपना और लापरवाही के विरुद्ध एक सख्त 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' लागू करना है।

एनडीएमए के दिशा-निदेश में सुरक्षा लेखा परीक्षा, वार्षिक मॉक ड्रिल, अग्निशामक यंत्रों की स्थापना, स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारियों में छात्रों और शिक्षकों का प्रशिक्षण, ज्वलनशील और विषैले पदार्थों के भंडारण के संबंध में सुरक्षा मानदंडों का पालन करना और केवल उन स्कूलों को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करना जो विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा से संबंधित संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करते हैं, जैसे निर्दिष्ट कार्यकलापों के संबंध में स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी का प्रावधान है।

(ग): राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिकार (एनसीपीसीआर) मैनुअल में खंड 1(X) में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दिनांक 21.07.2025 की अधिसूचना संख्या सीबीएसई/एएफएफ/अधिसूचना/2025/01310 के माध्यम से अपने सभी संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को स्कूल परिसर में दृश्य-श्रव्य सुविधा वाले हाई रेज़ोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का निदेश दिया है।

सीबीएसई ने अधिसूचना संख्या सीबीएसई/एएफएफ/अधिसूचना/2025/01310 दिनांक 21.07.2025 के माध्यम से अध्याय 4 में खंड 4.7.10 जोड़कर (भौतिक अवसंरचना) अपने संबद्धता उपनियम-2018 में निम्नलिखित संशोधन किया है,

"स्कूल को स्कूल के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, लॉबी, गलियारों, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन क्षेत्र, स्टोर रूम, खेल के मैदान और शौचालयों को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंगसुविधा के साथ उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने चाहिए। इन सीसीटीवी कैमरों को कम से कम 15 दिनों के फुटेज रखने की क्षमता वाले स्टोरेज डिवाइस से सुसज्जित होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 15 दिनों का बैकअप संरक्षित किया जाए, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(घ) से (च): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में मानसिक स्वास्थ्य के मामलों के बारे में जागरूकता पैदा करने, तनाव को कम करने और आनंदमय सीखने को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हरियाणा राज्य सरकार अर्थात भिवानी-महेंद्रगढ़ सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा के तहत बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और वृद्धि के लिए मौजूदा सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और करियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मरक्षा आदि जैसी अन्य गतिविधियों के लिए उनके प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और निजी स्कूलों सहित सभी प्रबंधन स्कूलों को आवश्यकता के अनुसार यह सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भर्तियों के लिए अपने स्वयं के दिशा-निर्देश रखने और समग्र शिक्षा निधियों अथवा अपनी निधियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य के अनुसार, एनसीईआरटी ने फाउंडेशनल स्टेज (एनसीएफ-एफएस) 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 विकसित और शुभारंभ की है। दोनों एनसीएफ विभिन्न पहलुओं जैसे पाठ्यक्रम निर्माण, सीखने और शिक्षण सामग्री में सामग्री का विकास, शैक्षणिक प्रथाओं आदि में छात्रों के मानसिक कल्याण को एकीकृत करते हैं। फ्रेमवर्क में सभी हितधारकों, शिक्षकों, स्कूल पदाधिकारियों, माता-पिता और समुदाय के सदस्यों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक छात्र को मानसिक और भावनात्मक सहायता प्रदान किया जाए। इस रूपरेखा में छात्रों के जीवन के शुरुआती वर्षों में सामाजिक-भावनात्मक उत्तेजना के महत्व पर भी जोर दिया गया है और अपने पाठ्यचर्या लक्ष्यों, मुख्य दक्षताओं और सीखने के परिणामों में सामाजिक-भावनात्मक विकास के आयु-उपयुक्त पहलुओं के एकीकरण की दिशा में दिशानिर्देश है।

मनोदर्पण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय (एमओई) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।

मनोदर्पण वेबपेज: https://manodarpan.education.gov.in

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 14 जुलाई 2020 को ऑनलाइन शिक्षा में सुधार और छात्रों की सुरक्षा और शैक्षणिक कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रज्ञाता दिशानिर्देश (योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, याक (वार्ता), असाइनिंग, ट्रैकिंग और सराहना) दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए हैं। प्रज्ञाता दिशानिर्देश में माता-पिता को अपने बच्चों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और उनकी शारीरिक और मानसिक भलाई की निगरानी करने, डिजिटल सीखने के दौरान चिंता, अवसाद या क्रोध के संकेतों पर नजर रखने और गुप्त ऑनलाइन व्यवहार के प्रति सावधान रहने की सलाह दी गई हैं। इंटरनेट के उपयोग के बारे में खुला संचार, स्वच्छता/स्वस्थ जीवन शैली प्रथाओं (डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके) के संबंध में निर्देश, और ऑफ़लाइन खेल और शारीरिक गतिविधियों के साथ समय का ऑनलाइन संतुलन आवश्यक है।

परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम है, जिसमें देश भर के छात्र, अभिभावक, शिक्षक परीक्षाओं से उभरने वाले तनाव पर चर्चा करने और उसे दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2025 में, विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 करोड़ से अधिक छात्रों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों ने राज्य और केंद्र सरकार के साथ सभी स्तरों पर समन्वय करके प्रसार प्रयासों के संयोजन के माध्यम से भाग लिया। 13 जनवरी से 23 जनवरी, 2025 तक 10 दिनों की अवधि में पूरे भारत में शारीरिक और भावनात्मक कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों के माध्यम से परीक्षा के तनाव में कमी जैसी परीक्षा से संबंधित व्यापक गतिविधियां आयोजित की गईं। मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण सहित इससे संबंधित मामले हाल ही में आयोजित पीपीसी में शामिल प्रमुख विषयों में से एक थे, जिसे देश भर में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया था।

छात्रों के बीच बढ़ते तनाव, चिंता आदि को दूर करने के अलावा, कई स्कूलों द्वारा विभिन्न पहल की जाती हैं - जैसे सुबह की सभा में बातचीत के माध्यम से संवेदीकरण, किशोर शिक्षा कार्यक्रम, योग, खेल और खेल, स्काउट्स और गाइड, एनसीसी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। छात्र उस स्कूल में स्कूल पोषण उद्यान (एसएनजी) स्थापित करने में भी शामिल होते हैं जिसके माध्यम से वे प्रकृति से जुड़े होते हैं।

शिक्षा मंत्रालय देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहल कार्यान्वित करता है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और अधिगम और शिक्षण की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करना है।

*****